डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

1. रामखिलाडी पुत्र बुधराम
2. बाबू पुत्र बुधराम (मृतक)

2/1 राजकुमार पुत्र बाबू

2/2 जितेन्द्र पुत्र बाबू

2/3 कमला पुत्री बाबू

2/4 काडी पत्नि बाबू

3. तेजा पुत्र श्रीमान
4. किरोडी पुत्र श्रीमन

समस्त जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. भूरबाई पत्नि यादराम
2. खेमराज पुत्र गिर्राज
3. सूरजमल पुत्र रामजीलाल
4. खिलाडी पुत्र रामजीलाल
5. उदयराम पुत्र रामजीलाल
6. चुन्नीराम पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति मीना निवासी गाजीपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

7. जगमोहन पुत्र रूगनाथ
8. भगवत पुत्र रूगनाथ
9. रामदयाल पुत्र बाबू
10. चन्दशेखर पुत्र बाबू
11. भगवत प्रसाद पुत्र किशोरी
12. राजेन्द्र पुत्र मुरारी
13. धमेन्द्र पुत्र मुरारी
14. श्याम पुत्र मुरारी
15. माया पत्नि मुरारी

समस्त जाति ब्राहमण निवासी करीरी तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

16. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र गंगासहाय
17. परसुराम दत्तक पुत्र गंगासहाय
18. परसुराम पुत्र सियाराम
19. छोट्या पुत्र रामनारायण

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

20. भजनलाल पुत्र रामनारायण

21. हरभजन पुत्र मीठ्या

समस्त जाति मीना निवासी गाजीपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

22. भरोसी पुत्र बद्री जाति महाजन निवासी करीरी तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

23. चौबे पुत्र किशोरी – मृतक

24. नथुआ पुत्र किशोरी

25. दुल्ली पुत्र किशोरी

26. प्रहलाद पुत्र किशोरी (मृतक)

26/1 राहुल पुत्र प्रहलाद

26/2 बाडा पत्नि प्रहलाद

27. मोहन पुत्र किशोरी

28. हरिमन पुत्र रामसहाय

29. हरिचरण पुत्र रामसहाय

30. नारायण पुत्र मांग्या

31. गोटू पुत्र मांग्या

32. खिलाडी पुत्र मांग्या

33. जगराम पुत्र कलुवा

समस्त जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

34. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

35. उपपंजीयक कार्यालय टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बावत् इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा व डिविजन ऑफ होल्डिंग
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट
व इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0:– 127/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट, संजय गहलोत एडवोकेट मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिकी दी जाती है कि

हाल खसरा नम्बर 470 रकवा 0.18 है0 , 470/651 रकवा 0.91 है0 जिसमें से रकवा 0.21 है0 ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली वर्तमान जमाबन्दी को गत जमाबन्दी 2039–42 की स्थिति बहाल करते हुये नामान्तकरण संख्या 252 तारीख 03.06.1986 व उसके पश्चात् सभी नामान्तकरण यथा विक्रय पत्र, सम्परिवर्तन आदेश एवं अन्य सभी नामान्तकरण शून्य घोषित किये जाते है तथा श्रीमन पुत्र रामहेत, भम्बोली पुत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रामहेत हिस्सा 1/2 के वारिस वादी तेजा पुत्र श्रीमन हिस्सा 1/4 व किरोडी पुत्र श्रीमन हिस्सा 1/4 जाति मीना निवासी करीरी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा हाल खसरा नम्बर 470/651 का रकवा 0.91 है0 में से रकवा 0.21 है0 में वादी तेजा पुत्र श्रीमन हिस्सा 1/4 व किरोडी पुत्र श्रीमन हिस्सा 1/4 जाति मीना निवासी करीरी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11/02/2024 को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु0नं0 127 / 2017

ता0 रजू:– 11.10.2017

पीठासीन अधिकारी:– अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

1. रामखिलाडी पुत्र बुधराम
2. बाबू पुत्र बुधराम (मृतक)

2/1 राजकुमार पुत्र बाबू
2/2 जितेन्द्र पुत्र बाबू
2/3 कमला पुत्री बाबू
2/4 काडी पत्नि बाबू

3. तेजा पुत्र श्रीमान
4. किरोडी पुत्र श्रीमन

समस्त जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. भूरबाई पत्नि यादराम
2. खेमराज पुत्र गिर्राज
3. सूरजमल पुत्र रामजीलाल
4. खिलाडी पुत्र रामजीलाल
5. उदयराम पुत्र रामजीलाल
6. चुन्नीराम पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति मीना निवासी गाजीपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

7. जगमोहन पुत्र रूगनाथ
8. भगवत पुत्र रूगनाथ
9. रामदयाल पुत्र बाबू
10. चन्दशेखर पुत्र बाबू
11. भगवत प्रसाद पुत्र किशोरी
12. राजेन्द्र पुत्र मुरारी
13. धमेन्द्र पुत्र मुरारी
14. श्याम पुत्र मुरारी
15. माया पत्नि मुरारी

समस्त जाति ब्राहमण निवासी करीरी तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

16. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र गंगासहाय
17. परसुराम दत्तक पुत्र गंगासहाय
18. परसुराम पुत्र सियाराम
19. छोट्या पुत्र रामनारायण
20. भजनलाल पुत्र रामनारायण
21. हरभजन पुत्र मीठ्या

समस्त जाति मीना निवासी गाजीपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

22. भरोसी पुत्र बद्री जाति महाजन निवासी करीरी तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
23. चौबे पुत्र किशोरी – मृतक
24. नथुआ पुत्र किशोरी
25. दुल्ली पुत्र किशोरी
26. प्रहलाद पुत्र किशोरी (मृतक)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

26/1 राहुल पुत्र प्रहलाद
26/2 बाडा पत्नि प्रहलाद
27. मोहन पुत्र किशोरी
28. हरिमन पुत्र रामसहाय
29. हरिचरण पुत्र रामसहाय
30. नारायण पुत्र मांग्या
31. गोदू पुत्र मांग्या
32. खिलाडी पुत्र मांग्या
33. जगराम पुत्र कलुवा
समस्त जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
34. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
35. उपपंजीयक कार्यालय टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बावत् इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा व डिविजन ऑफ होल्डिंग
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट
व इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः— 1. श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट वादी
2. श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1
3. श्री संजय गहलोत एडवोकेट प्रतिवादी नं0 18
4. पैरोकार सरकार (तहसीलदार) प्रतिवादी नं0 34 व 35

निर्णय

दिनांकः— 11/02/2026

वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आराजी गत खसरा नं0 166 रकवा 1 वीघा 11 बिस्वा ग्राम चकगाजीपुर तहसील टोडाभीम में स्थित है। भूप्रबंध ने इस भूमि के हाल खसरा नं0 470 रकवा 0.18 तथा 470/651 रकवा 0.91 मिन में रकवा 0.21 एयर कायम किये है। चूकि हाल खसरा नं0 470/651 का कुल रकवा 0.91 कायम किया है तथा गत खसरा नं0 166 मिन करके भी रकवा इस हाल खसरा नं0 मे दर्शाया है जो रकवा 0.20 एयर होता है इस प्रकार गत खसरा नं0 166 का कुल रकवा 0.39 होता है।

गत खसरा नं0 166 रकवा 1 वीघा 11 स्थित ग्राम चकगाजीपुर की भूप्रबंध से पूर्व खातेदारी रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी (खतौनी) सम्वत् 2039 से 2042 तक मे खातेदारी हिस्सा 1/2 की श्रीमन् भम्बोली पिसरान रामहेत जाति मीना निवासी करीरी मे नाम दर्ज थी। यह जमाबंदी तहसील टोडाभीम की भूप्रबंध से पूर्व अन्तिम जमाबंदी थी। इस प्रकार इस गत खसरा नं0 166 रकवा 1 वीघा 11 बिस्वा के हिस्सा 1/2 के उक्त श्रीमन् भम्बोली पुत्र रामहेत खातेदार काश्तकार थे। भूप्रबंध विभाग ने इसके बाद जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2062 तैयार की है उसमें उक्त व्यक्तियों के हिस्सा 1/2 की खातेदारी के स्थान पर बिना

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

किसी अधिकार के गलत व अवैध रूप से परसुराम पुत्र सियाराम जाति मीना निवासी गाजीपुर के नाम दर्ज कर दी चूकि भूप्रबंध विभाग से परसुराम ने साज करके तथा उनको धन का प्रलोबन देकर, भष्ट आचरण कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली जो कानूनन कोई मान्यता नही रखती है। उक्त परसुराम के नाम हिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज होने के कारण उसकी नियत में बेईमानी प्रवेश कर गई तथा परसुराम ने हाल खसरा नं0 470 के हिस्सा 1/2 का बेचान रामनारायण पुत्र रेवडमल को कर दिया गया जिसका नामान्तकरण सं0 59 दिनांक 05.08.2001 बेचान से रामनारायण के नाम हो गया है तथा रामनारायण ने भूरबाई पत्नी यादराम को बेचान से नामान्तकरण सं0 96 दिनांक 05.10.2004 के द्वारा खातेदारी हो गई है। उक्त दोनो ही बेचान बेनामी ट्रान्जेक्शन थे तथा वादी को धोखा देने की नियत से फर्जी किये गये थे जिनका कानूनन कोई औचित्य व मान्यता प्राप्त नही है। ये दोनो ही ट्रान्जेक्शन बेचान वमुकाबले वादीगण नल एण्ड बोईड है तथा बेअसर है तथा इनके आधार पर खोले गये नामान्तकरण नल एण्ड बोईड व बेअसर वादी है।

इस प्रकार गत खसरा नं0 166 के संबंध में जमाबंदी सम्वत् 2039 से 2042 के बाद किये गये सभी इन्द्राजात बाबत् खातेदारी, बेचान, नामान्तकरण, सम्परिवर्तन आदेश सभी सभी गलत व अवैध है नल एण्ड बोईड है तथा बेअसर वादीगण है। इस भूमि खसरा नं0 470 का सम्पूर्ण रकवा सम्परिवर्तन आदेश नामान्तकरण सं0 110 दिनांक 11.11.2005 के द्वारा भूमि आबादी मे स्वीकृत हुई है जिसका इन्द्राज जमाबंदी में दर्ज है। वादीगण नं0 3 व 4 का गत खसरा नं0 166 रकवा 1 वीघा 11 बिस्वा हिस्सा 1/2 पर पिछले सैकडो साल से निरन्तर कब्जा चला आ रहा था तथा वादीगण नं0 1, 2 की सन् 2005 से रिहायश हो रही है और मकान की दासेबन्दी हो रही है। वादीगण नं0 3, 4 ने वादी नं0 1,2 को दिनांक 19.08.2005 को यह भूमि जरिये इकरारानामा विक्रयपत्र खातेदारी के हक दे दिये है। वादीगण के हिस्सा 1/2 से प्रतिवादी नं0 1 का या पूर्व दर्ज जमाबंदी मे खातेदार का कोई संबंध किसी प्रकार का नही रहा है और नाहि अब है। चूकि वादीगण के बुजुर्ग श्रीमन, भम्बोली पुत्र रामहेत की मृत्यु हो चुकी है। श्रीमन के वीदगण तेजा व किरोडी पुत्र है तथा श्रीमन का खास भाई भम्बोली लाऔलाद फौत हो गया है इस प्रकार वादीगण नं0 3, 4 कायम मुकाम कानूनी वारिस है तथा अपने नाम गत खसरा नं0 166 रकवा 1 वीघा बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 470 रकवा 0.18 एयर व 470/651 रकवा 0.91 एयर मे से रकवा 0.18 एयर मे हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हक मे खातेदारी करानेके हकदार है। वादीगण नं0 1, 2 का मौके पर हाल खसरा नं0 470 रकवा 0.18 एयर के सम्पूर्ण तथा खसरा नं0 470/651 रकवा डेढ एयर पर कब्जा मौजूद है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादी नं0 1 चालाक किस्म की औरत है तथा उसके नाम विवादित भूमि मे गलत रूप से खातेदारी दर्ज होने के कारण उसकी नियत मे बेईमानी है तथा प्रतिवादी भूरबाई का इस विवादित भूमि के एक इंच भूमि पर भी कब्जा नही है तथा इस गलत इन्द्राज बाबत् नाजायज फायदा उठाने की गरज से वादीगण की भूमि को हडपने की गरज से व बेदखल करने की धमकी देती रहती है। वादी नं0 1, 2 दिनांक 07.09.2017 को अपनी इस विवादित भूमि पर बैठे हुये थे कि प्रतिवादी नं0 1 भूरबाई हाथों मे लाठी लेकर के आई और वादीगण को एलानिया धमकी दी कि या तो राजीखुशी से इस जमीन को मेरे हवाले कर दो अन्यथा तुम्हारे साथ झगडा फैसाद करूगी, झूठे मुकदमे दर्ज कराउगी तथा जबरदस्ती कब्जा करके रहूगी। वादीगण नं0 1, 2 ने इसको काफी समझाया लेकिन वह नही मानी इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है और विनायदावा पैदा हुआ है। यह कि प्रतिवादी नं0 2 ता 33 विवादित भूमि के सहखातेदार है। इसलिये पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादी नं0 34 तहसीलदार लैण्ड हाल्डर है तथा प्रतिवादी नं0 35 उपपंजीयक रजिस्ट्रेशन आर्थेरिटी है इसलिये पक्षकार बनाया गया है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 ता 33 बाबत् इस्तकरार हक (घोषणा खातेदारी) डिक्री किया जाकर भूमि हाल खसरा नं0 470 रकवा 0.18 एयर रकवा 470/651 रकवा 0.91 एयर मे से रकवा 0.21 एयर स्थित ग्राम चकगाजीपुर तहसील टोडाभीम मे वादीगण को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जाये कि वे रेवन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी मे उपरोक्तानुसार अमल करे। यह कि गत खसरा नं0 166 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा ग्राम चकगाजीपुर तहसील टोडाभीम के हिस्सा 1/2 की खातेदारी परशुराम पुत्र सीयाराम मीना के नाम गलत व अवैध रूप से भूप्रबंध विभाग ने दर्ज की है इसके उपरान्त इस भूमि के हिस्सा 1/2 का बेचान रामनारायण पुत्र रेवडमल तथा इस बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 05.08.2001 खुला व तस्दीक हुआ है तथा रामनारायण द्वारा भूरबाई पत्नी यादराम को बेचान किया गया है उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 5.10.2004 खुला व तस्दीक हुआ है इसके उपरान्त इसी भूमि के नये खसरा नं0 470 का सम्पूर्ण रकवा समपरिवर्तन आदेश आवादी बावत व उसके आधार पर खोला गया नामन्तकरण संख्या 110 दिनांक 11.11.2005 तथा उक्त समस्त बेचान नामान्तकरण, इन्द्राजात व समपरिवर्तन आदेश आदि गलत व अवैध व बेनामी ट्रान्जेक्शन है व नल एण्ड बाईड व बेअसर वादीगण है तथा इस आशय की घोषणा की जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सहखातेदारान बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग डिक्री किया जाकर भूमि हाल खसरा नं0 470 रकवा 0.18 एअर तथा खसरा न0 470/651 रकवा 0.91 एअर स्थित ग्राम चकगाजीपुर तहसील टोडाभीम मे से रकवा 0.21 एअर मे वादीगण के हिस्सा 1/2 का अलग खाता व लगान कायम किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि वे मुताबिक कब्जा वादीगण बटवारा स्कीम तैयार कर न्यायालय में भिजवाये तथा वादीगण के हक मे फाईनल डिक्रि प्रदान की जावे।

वादी खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा (स्टे) डिक्रि किया जाकर भूमि हाल खसरा नं0 470 रकवा 0.18 एयर रकवा 470/651 रकवा 0.91 एयर मे से रकवा 0.21 एयर स्थित ग्राम चकगाजीपुर तहसील टोडाभीम मे वादीगण के हिस्सा 1/2 मे वादीगण के कब्जे व रिहायश व निर्माण मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे तथा प्रतिवादी नं0 1 को पाबंद किया जाये कि वे उक्त भूमि के संबंध मे किसी प्रकार की रहन विक्रय आदि नही करे तथा प्रतिवादी नं0 35 सबरजिट्रार टोडाभीम उपरोक्त भूमि के संबंध मे किसी भी प्रकार के दस्तावेज रहन विक्रय आदि के संबंध मे रजिस्टर्ड व पंजीबद्व नही करें तथा तहसीलदार टोडाभीम रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 ता 17, 19 ता 33 बावजूद सूचना और कई अवसरों के पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं0 18 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय गहलोत एडवोकेट ने जबाव प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 470 रकवा 0.18, 470/651 रकवा 0.21 ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम में वादीगण हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। इस भूमि का गत खसरा नम्बर 166 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा है। भू प्रबन्ध से पूर्व रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 में खातेदारी हिस्सा 1/2 की श्रीमन, भम्बोली पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम के नाम सही दर्ज थी लेकिन भू प्रबन्ध विभाग की गलती से मुझ प्रतिवादी परसूराम के नाम हिस्सा 1/2 की खातेदारी गलत दर्ज कर दी है। यह कि मेरे खसरा नम्बर 19, 20 जो मैने जरिये रजिस्ट्री से खरीदा है जिसके पश्चात् तहसील टोडाभीम में सेटमेन्ट हुआ है चूँकि सेटिलमेन्ट में हमारे नं0 19, 20 के पश्चात खसरा नम्बर 166 नामान्तकरण में जोड दिया है जो विभागीय सेटिलमेन्ट की भूमि है चूँकि मेरे द्वारा नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर पता चला है कि 166 नम्बर भी मेरे नाम है तथा सेटिलमेन्ट रकवा के छोटे–छोटे नम्बर बनाये गये है। इसलिये मैने सोचा कि मेरे खसरा नम्बर 19, 20 के अलावा 166 नम्बर जिसके

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

हाल नम्बर 470 बना है भी मेरे नाम इन्द्राज में आया है उसी अनुसार मैने इसका विक्रय किया है तथा मैने किसी तरह से धन बल तथा किसी प्रकार के दबाव से यह नम्बर मैने मेरे नाम नहीं लिखवाया है केवल सेटलमेन्ट (भू–प्रबन्धक) की भूल से इसका इन्द्राज हुआ है। जिसकी जिम्मेदारी विभाग की है इसमें मेरी कोई द्वेषता किसी से प्रकार की नहीं है। इस विभागीय भूल का शुद्धिकरण धारा 136 में कर दिया जावे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः दावा वादीगण डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रतिवादी नं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने जबाव प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि मद नं0 1 वाद पत्र में वर्णित आराजी मौजूदा ख.नं. 470 रकबा 0.18 है., 470/651 रकबा 0.91 है0 ग्राम चक गांजीपुर में होना स्वीकार है। मद नं0 2 वाद पत्र गलत है, अस्वीकार है। ख0नं0 470 का 1/2 हिस्से रामनारायण पुत्र रेरवडमल से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा खरीद के बाद उक्त आराजी के अपने हिस्से को जरिये भूमि रूपान्तरण करवा कर आबादी को कन्वर्ट करा लिया है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा खरीदी गई आराजी रजिस्टर्ड बेचान बाबत् नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक–05.10.2004 के द्वारा खातेदारी हो गयी तथा ख0नं0 470 का सम्पूर्ण रकबा सम्परिवर्तन आदेश नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक–11.11.2005 को आबादी में स्वीकृत हुई है। जिसका इन्द्राज भी जमाबंदी में सही दर्ज हुआ है। वादीगण द्वारा इस मद में समस्त कथन एकदम गलत मनगढन्त व कपोल कल्पित अंकित किये है।

मद नं0 3 वाद पत्र गलत है, अस्वीकार है। वादीगण द्वारा इस मद में समस्त कथन एकदम गलत अंकित किये है। प्रतिवादी नं0 1 का आराजी विवादग्रस्त पर कब्जा नहीं होता व रामनारायण पुत्र रेवडमल से रजिस्ट्री क्यो करवाती तथा विक्रय पत्र पंजीबद्ध भी करवा लिया तो आबादी में सम्परिवर्तन क्यो करवाते, इसलिये वादी द्वारा समस्त कथन एकदम गलत मनगढन्त अंकित किये है। तथा कथित तारीख 07.09.2017 एकदम गलत व हवाई अंकित की है। उक्त आराजी के बाबत् पूर्व में भी एक मुकदमा भूरबाई बनाम रामखिलाडी बगै0 सिविल न्यायालय टोडाभीम में विचाराधीन है।

विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादी द्वारा समस्त कथन एकदम गलत व मदगढन्त अंकित कर दावा पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादी नं0 1 द्वारा आराजी विवादग्रस्त को रामनारायण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। तथा रामनारायण द्वारा भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी तथा प्रतिवादी नं0 1 कब्जा होने के बाद उक्त आराजी ख0नं0 470 रकबा 0.18है0 चक्र गाजीपुर को कृषि आराजी से आबादी में सम्परिवर्तन को निरस्त करवाये बिना दावा चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है।

आराजी ख0नं0 470 रकबा 0.18 है0 ग्राम चक गांजीपुर तह0 टोडाभीम वर्तमान आबादी भूमि रिकार्डेड है। तथा आबादी भूमि के बाबत् सुनने का क्षेत्राधिकार इस सम्मानीय अदालत को प्राप्त नहीं है। आराजी ख0नं0 470 पर वादीगण का कब्जा नही है तथा कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है।

अतः वादी नं0 1. वादी नं0 2,3,4, से सांजकर आराजी से प्रतिवादी नं0 1 को बेदखल करने तथा उसकी आबादी भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है तथा गरीब महिला पर मुकदमा का दबाव बनाकर आराजी को हडप करना चाहता है। इसलिये दावा चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि दावा मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

वादपत्र के निस्तारण हेतु निम्नप्रकार तनकीयात कायम की गई।

1. आया साबिक खसरा नम्बर 166 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 470 रकबा 0.18 एवं 470/651 रकवा 0.91 मिन मे रकवा 0.21 एयर कायम किये है। जबकि गत खसरा नं0 166 का कुल रकवा 0.39 है0 होता है

(जिम्मेवादी)

2. आया साबिक खं.नं. 166 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा ग्राम चकगाजीपुर की खातेदारी जमाबंदी सं. 2039–2042 तक में हिस्सा 1/2 श्रीमान्, भम्बोली पि0 रामहेत जाति मीना निवासी करीरी के नाम दर्ज थी। भूप्रबंध की कार्यवाही के दौरान जमाबंदी सं. 2043–2062 मे उक्त नाम के स्थान पर बिना किसी अधिकार गलत रूप से परसुराम पुत्र सियाराम मीना नि0 गाजीपुर के नाम दर्जकर दी। परसुराम ने दर्ज नाम का फायदा उठाकर हाल खं.नं. 470 के हिस्सा 1/2 का बेचान रामनारायण S/O खेडमल के नाम कर दिया। रामनारायण ने भूरबाई को बेचान कर दिया। वर्तमान मे यह खातेदारी भूरबाई के नाम है उक्त दोनो ही बेचान बेनामी ट्रान्जेक्शन थे। इसलिए नल

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

एण्ड बोईड है सभी इन्द्राजात खातेदारी, बेचान, नामान्तकरण, सम्परिवर्तन आदेश सभी गलत व नल एण्ड बोईड है।

(जिम्मेवादी)

3. आया वादीगण नं. 3 व 4 गत खं.नं. 166 रकबा 1 वीघा 11 विस्वा हिस्सा 1/2 पर पिछले सैंकडो साल से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादीगण नं. 1 व 2 की सन् 2005 से रिहायश हो रही है। मकान की दासाबंदी हो रही है वादीगण नं. 3 व 4 ने जरिये इकरारनाम वादी नं. 1 व 2 को हक प्रदान कर दिये है। वादीगण 1व 2 का मौकेपर खं.नं. 470 रकवा 0.18 है0 तथा खं.नं. 470/651 के रकबा डेढ़ एयर पर कब्जा है।

(जिम्मेवादी)

4. आया खं.नं. 470 रकवा 0.18 है0 470/651 रकबा 0.91 है0 मे से 21 एयर मे वादीगण के हिस्सा 1/2 का विधिवत तकास्मा करा अलग खाता कायम कराने, प्रतिवादीगण को विक्रय न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के हकदार है।

(जिम्मेवादी)

5. आया खं.नं. 470 का 1/2 हिस्सा रामनारायण S/O खेडमल से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। खरीद के बाद यह भूमि आवादी में कन्वर्ट करा ली है। खरीद की भूमि रजि0 बेचान बावत नामा0 संख्या 96/5.10.2004 से खातेदारी हुई है ना. सं. 110/11.11. 2005 को आबादी में स्वीकृत हुई है वादीगण के शेष समस्त तथ्य गलत मनगढन्त है वादीगण का कब्जा नही है। गलत दावा पेश होने से खारिज योग्य है।

(जिम्मेप्रतिवादी नं. 1)

6. आया आराजी खं.नं. 470 रकवा 0.18 वर्तमान में आबादी भूमि रिकॉर्डेड है। आवादी भूमि के बावत दावा सुनने का क्षेत्राधिकार मान0 न्यायालय को प्राप्त नही है। वादी का कब्जा नही है। इस बिना पर भी दावा खारिज योग्य है।

(जिम्मेप्रतिवादी नं. 1)

उक्तानुसार तनकीयात स्पष्ट की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी पेश कर आवश्यक दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 का जबाव देकर बहस की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पर न्यायालय से रूपये 200/– का आर्थिक दण्ड लगाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी को स्वीकार किया गया और दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया गया। वादपत्र के समर्थन में ग्राम चकगाजीपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खसरा नम्बर 470 प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खसरा नम्बर 470/651 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 से 2062 प्रदर्श–2, न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम के मु0नं0 102/17 तारीख रजू 31.07.2017 की आदेशिका प्रदर्श–3, न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम के मु0नं0 102/17 तारीख रजू 31.07.2017 वादपत्र की प्रति प्रदर्श–4, विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 1577 दिनांक 24.09.2004 रामनारायण बहक भूरबाई प्रदर्श–5, विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 387 दिनांक 27.06.2001 परसराम बहक रामनारायण प्रदर्श–6, विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 39 दिनांक 10.03.86 घमण्डी व अन्य बहक परसराम प्रदर्श–7, ग्राम चकगाजीपुर के नामान्तकरण संख्या 251 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8, ग्राम चकगाजीपुर के नामान्तकरण संख्या 246 स्वीकृत दिनांक 07.03.86 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–9, नामान्तकरण संख्या 250 दिनांक 07.03.86 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–10, नामान्तकरण संख्या 252 दिनांक 03.04.86 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–11, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 से 2062 ग्राम चक गाजीपुर प्रदर्श–12, भू प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2043 से 2062 की खतौनी प्रदर्श–13, जमाबन्दी सम्वत् 2039–2042 ग्राम चक गाजीपुर प्रदर्श–14, ग्राम चकगाजीपुर सम्वत् 2043 राजस्व नक्शा ट्रेस प्रदर्श–15, जमाबन्दी खतौनी ग्राम चक गाजीपुर सम्वत् 2052 आधार वर्ष प्रदर्श–16, जमाबन्दी चालू वर्ष 2005 के खाता संख्या 92 प्रदर्श–17, जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2055 से 2058 खाता संख्या 62 प्रदर्श–18, जमाबन्दी ग्राम चक गाजीपुर सम्वत् 2039 से 2042 खसरा नम्बर 166 प्रदर्श–19, राजस्व नक्शा ट्रेस ग्राम चक गाजीपुर प्रदर्श–20, जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 के खाता संख्या 133 प्रदर्श–21, जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 99 प्रदर्श–22, इकरारनामा दिनांक 19.08.2005 प्रदर्श–23 ए, वादी के वयान , वादी का शपथ पत्र एवं गवाह किरोडी का शपथ पत्र पेश किया।

वकील वादी ने साक्ष्य बन्द हेतु निवेदन किया अतः साक्ष्य बन्द कर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पेश की गई। प्रतिवादी को उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी पेश किये। प्रतिवादी वकील द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादी नं0 1 भूरवाई का शपथ पत्र, बयान एवं गवाह बाबूलाल, फूलचन्द का शपथ पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादी वकील ने साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कराई। प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पेश की जिसका जबाव प्रतिवादी वकील ने देकर बहस की। प्रतिवादी वकील ने दिनांक 11.02.2021 को प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया जिसका वादी वकील द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा बहस का मनन करने के पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी को स्वीकार किया जाना उचित समक्षा व न्यायालय सिविल न्यायाधीश टोडाभीम उनवान भूरबाई बनाम रामखिलाडी की प्रमाणित प्रतिलिपि को रिकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 29.04.2024 को वादी की ओर से वकील श्री हंसराम गुर्जर ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने 14.05.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय वकालत नामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी को स्वीकार करने की सहमति जाहिर की और न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 022आर(3) स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो कि शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई।

वकील वादी ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश की कि तकास्मे की रिलीफ को वापस लेना चाहते है। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की अतः खसरा नम्बर 470 रकवा 0.18, खसरा नम्बर 470/651 रकवा 0.91 है0 स्थित ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम के तकास्मे की वादी की रिलीफ की प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है।

पत्रावली पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। वाद की तनकीवार स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट होती है।

तनकी नं0 01

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज चक गाजीपुर के मिलान क्षेत्रफल जो की प्रदर्श–2, प्रदर्श–12 पर शामिल पत्रावली है से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 166 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा से नवीन

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

खसरा नम्बर 470 रकबा 0.18 है0 व खसरा नम्बर 470/651 रकवा 0.91 है0 मिन में रकवा 0.21 ऐयर कायम किये गये है। साबिक खसरा नम्बर 166 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा स्थित ग्राम चक गाजीपुर जमाबन्दी सम्वत् 2039–2042 तक खातेदारी श्रीमान, भम्बोली पिसरान रामहेत जाति मीना निवासी करीरी हिस्सा 1/2 रही है। किसी भी प्रतिवादी द्वारा इस बात पर कोई आपत्ति नहीं लगाई कि साबिक खसरा 166 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा से नवीन खसरा 470 रकबा 0.18 है0 बना है व मिन खसरा 470/651 रकवा 0.91 है0 में रकवा 0.21 एयर स्पष्ट नहीं है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 से 2062 के अनुसार साबित होता है कि साबिक खसरा नम्बर 166 रकवा 01 बीघा 11 से नवीन हाल खसरा नम्बर 470 रकवा 0.18 है0 बना है एवं हाल खसरा नम्बर 470/651 रकवा 0.91 है0 साबिक खसरा नम्बर 166 मिन एवं अन्य साबिक नम्बरों से बना है। जिसमें वादी 0.21 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में साबित होती है।

तनकी नं0 2

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। जमाबन्दी वर्ष 2039–42 (प्रदर्श–14) से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 166 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा ग्राम चक गाजीपुर की खातेदारी हिस्सा 1/2 श्रीमन, भम्बोली पि0 रामहेत जाति मीना निवासी करीरी के नाम नाम रही है। सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी 2039–42 में साबिक खसरा नम्बर 19, 20 व 166 में श्रीमन, भम्बोली पि0 रामहेत जाति मीना निवासी करीरी हिस्सा 1/2 दर्ज है जिसके नामान्तकरण नम्बर 250 दिनांक 07.03.1986, नामान्तकरण संख्या 252 दिनांक 03.04. 1986 अन्य काश्तकार भोरया के वारिस घमण्डी व मोहन के साथ परसुराम पुत्र सियाराम मीना निवासी गाजीपुर के नाम दर्ज हुई जो जमाबन्दी सम्वत् 2043–2062 में खसरा नम्बर 470 में परसुराम पुत्र सियाराम जाति मीना निवासी गाजीपुर के नाम दर्ज है। परसुराम पुत्र सियाराम जाति मीना द्वारा नामान्तकरण संख्या 59 तारीख 05.08.2001 में खसरा संख्या 470 में से अपना हिस्सा (1/2) रामनारायण पुत्र रेवडमल को बेचान किया तथा रामनारायण पुत्र रेवडमल द्वारा इसका बेचान भूरबाई पत्नि यादराम को नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 05.10.2004 द्वारा कर दिया गया।

जबाव दावा में प्रतिवादी संख्या 18 परसुराम पुत्र सियाराम जाति मीना निवासी गाजीपुर ने यह स्वीकार किया है कि गत खसरा नं0 166, प्रतिवादी द्वारा खसरा नं0 19 व 20 की खरीद के समय गलती से नाम हो गई, जिस पर प्रतिवादी परसुराम का कोई हक नहीं है। इसकी भूल का शुद्धिकरण भी कर दिया जाये जो इनको कोई एतराज नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदत्त सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अतः प्रतिवादी परसुराम पुत्र सियाराम ने जब साबिक खसरा नम्बर 19 व 20 जरिये रजिस्टर्ड खरीदा तो उस समय नामान्तकरण सिर्फ खसरा नम्बर 19 व 20 की भूमि का ही होना था मगर किसी कारणवश खसरा नं0 19 व 20 के साथ–साथ खसरा नं0 166 के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण जो श्रीमन व भम्बोली पिसरान रामहेत की हिस्सेदारी थी, परसुराम पुत्र सियाराम जाति मीना के नाम आ गई और फिस इसके कई नामान्तकरण खुल कर वर्तमान में भूरबाई के नाम पर दर्ज है।

अगर किसी कृषि भूमि का पहला नामान्तकरण (Mutation) गलत तरीके से या अवैध प्रकिया से हुआ है, तो उसके आधार पर होने वाले बाद के सभी नामान्तकरणों की कानूनी स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है। कानून में एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है "यदि नीव ही गलत है, तो उस पर बनी इमारत भी अवैध होगी"

यदि मूल नामान्तकरण (Original Mutation) धोखाधडी, फर्जी दस्तावेजों, या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है, तो कानून की नजर में वह "Void Ab Initio" (शुरूआत से ही अवैध) माना जाता है।

- इसका मतलब है कि वह नामान्तकरण कभी हुआ ही नहीं था।
- जब पहना नामान्तकरण रद्द होता है, तो उसके बाद के सभी 'Chain Mutations' (श्रृंखला नामान्तकरण) अपने आप अवैध हो जाते है।
- राजस्व मण्डल राजस्थान (Board of Revenue, Ajmer) ने समय–समय पर अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि "नामान्तकरण (Mutation) केवल एक राजकोषीय (Fiscal) प्रकिया है" और यदि इसकी बुनियाद (मूल नामान्तकरण) ही गलत है, तो उस बने सभी भविष्य के नामान्तकरण स्वतः ही निरस्त होने योग्य है।

राजस्व मण्डल के सिद्धान्तों के अनुसार इसकी स्थिति निम्नखिलित है।

1. **"शून्य" नामान्तकरण का सिद्धान्त (Void vs Voidable)**

राजस्व मण्डन ने 'भूराम बनाम राज्य' और 'हरदेव बनाम धन्ना' जैसे कई मामलों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई मूल नामान्तकरण

- फर्जी दस्तावेजों (फर्जी वसीयत, फर्जी मुख्तारनामा) के आधार पर है,
- या मृत व्यक्ति के नाम से किया गया है,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

- या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों (बिना सूचना दिये) के विरूद्ध है, तो ऐसा नामान्तकरण 'Void' (शून्य) है। कानूनन शून्य कार्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिये उसके बाद वाले सभी नामान्तकरणों की कड़ियाँ अपने आप टूट जाती है।

2. महत्वपूर्ण कानूनी सूत्रः "Subsequent Mutation"

राजस्व मण्डल के प्रमुख फैसलों का सारांश यहां दिया गया हैः

- **मूल आधार का पतनः–** मण्डल ने व्यवस्था दी है कि यदि वह 'सेल डीड' (विकय विलेख) या 'उपहार विलेख' जिसके आधार पर पहला नामान्तकरण हुआ था, न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो तहसीलदार को आगे के सभी नामान्तकरण रद्द करने के लिये किसी नये आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।

- **अपील की निरन्तरताः–** यदि धारा 75 (राजस्व अधिनियम) के तहत पहले नामान्तकरण के विरूद्ध अपील स्वीकार होती है, तो अपील न्यायालय (कलेक्टर/संभागीय आयुक्त) को अधिकार है कि वह उसके आधार पर हुये बाद के सभी नामान्तरणों को एक साथ खारिज कर दे।

प्रमुख केस लॉ सन्दर्भ (Board of Revenue, Rajasthan)

- **कल्याण बनाम भूरारामः** इस मामले में मण्डल ने कहा कि यदि पहला नामान्तकरण ही अधिकार क्षेत्र के बाहर (Coram non-judice) जाकर किया गया है, तो उसके बाद चाहे 10 और नामान्तरण क्यों न हो गये हो, वे सभी अवैध माने जायेगें।

- **रामप्रसाद बनाम राज्यः** उसमें स्पष्ट किया गया कि "नामान्तरण से मालिकाना हक पैदा नहीं होता" (Mutation dose not corfer Title) इसलिये, यदि किसी व्यक्ति ने गलत नामान्तकरण के आधार पर भूमि आगे बेच दी है, तो खरीददार को कोई वैध हक प्राप्त नहीं होगा।

- **धन्नालाल बनाम नारायणः** मण्डल ने माना की बाद वाले खरीददार –Bonafide Purchaser' (सद्भावी खरीदार) होने का दावा करके गलत नामान्तरण को बचा नहीं सकते, क्योकि राजस्व रिकॉर्ड में 'धोखाधडी' के विरूद्ध कोई सुरक्षा नहीं मिलती।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कई मामलों (जैसे State of Orissa vs. Brundaban Sharma) में स्पष्ट किया है कि, "धोखाधडी से प्रापत किया गया कोई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

भी आदेश या नामान्तरण हर स्तर पर रद्द करने योग्य है। समय बीत जोन (Limitation) का तर्क भी धोखाधडी के मामलों में लागू नहीं होता।"

अतः यह तनकी बावत् वादी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 3

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी भी वादी की है। वादी ने अपने मौखिक साक्ष्यों और दस्तावेजों में यह कथन किया कि आराजी भूमि पर कब्जा वादीगण का है। प्रतिवादी भूरबाई ने दौराने जिरह यह माना कि आराजी भूमि पर दासाबंदी हो रखी है और उसने इस जमीन को चार वर्ष पहले देखा मतलब 2017 में। वादीगण ने दासाबन्दी कराई तब झगडा भी हुआ।

गवाह फूलचन्द पिता सौदान ने भी स्वीकारा कि आराजी भूमि पर दासाबन्दी हो रही है जो 4–5 वर्ष पूर्व (2016–17) में हुई। गवाह बाबूलाल पुत्र हरीकिशन ने भी अपने बयान में माना कि दासाबन्दी हो रही है।

इन सभी से यह जाहिर होता है कि खसरा नं0 470 रकवा 0.18 है0 के वादी के हिस्से पर दासाबन्दी कर रखी है।

तनकी नं0 4

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 में तकास्मे की रिलीफ को वापिस ले लिया है तो इस तनकी पर न्यायालय किसी निर्णय पर विचार नहीं करता है।

तनकी नं0 5

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी नं0 1 की है। प्रतिवादी नं0 1 ने आराजी भूमि खसरा नं0 470 हिस्सा 1/2 नामान्तकरण संख्या 95 तारीख 05.10.2004 रामनारायण पुत्र रेवडमन ने खरीद किया तथा इसके बाद में आबादी भूमि में सम्परितर्वन कराया और नामान्तकरण नं0 110 तारीख 11.11.2005 द्वारा आबादी दर्ज हुई। चूँकि तनकी नं0 2 से यह साबित हो चुका है कि नामान्तरण संख्या 252 तारीख 03.06.1986 ही गलत तरीके से हुआ है तो उसके बाद वाले सभी नामान्तरण प्रारंभ से शून्य (Null ab Initio) है। तनकी नं0 4 से यह साबित हो चुका है कि प्रतिवादी नं0 1 का आराजी भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

कब्जा नहीं है। प्रतिवादी नं0 1 ने स्वयं स्वीकारा कि उसने यह भूमि 4 साल पहले (2017) में देखी थी।

अतः यह तनकी प्रतिवादी साबित करने में विफल रही है और खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 6

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 पर है। आराजी भूमि वर्तमान में आबादी भूमि है। मगर जब वाद कारण उत्पन्न हुआ तत्समय आराजी भूमि कृषि भूमि रही।

यदि विवाद तब शुरू हुआ था जब जमीन कृषि भूमि (Agricultural Land) थी, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (Rajasthan Tenancy Act, 1955) की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय को ही इसे सुनने का अनन्य अधिकार (Exclusive Jurisdiction) प्राप्त है।

- वाद का कारण: यदि किसी नामान्तरण (Mutation), खातेदारी विवाद यह विभाजन (Partition) का विवाद उस समय पैदा हुआ जब जमीन रिकॉर्ड कृषि थी, तो बाद में वहां मकान बन गये।
- या उसका 'आवासीय' (Abadi) उपयोग होने से राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार खत्म नहीं होता।

प्रतिवादी संख्या 1 आराजी भूमि पर अपना कब्जा सिद्ध करने में भी विफल रही। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकीवार निर्णय से पहले वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः आराजी साबिक खसरा नम्बर 166 से बने नवीन खसरा नम्बर 470 रकवा 0.18 है0 एवं 470/651 रकवा 0.91 है0 जिसमें से 0.21 है0 बने है जिसमें वादी तेजा पुत्र श्रीमन जाति मीना व किरोडी पुत्र श्रीमन जाति मीना हिस्सा 1/2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। एवं नामान्तकरण संख्या 252 तारीख 03.06.1986 व उसके

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

पश्चात् सभी नामान्तकरण यथा विकय पत्र, सम्परिवर्तन आदेश एवं अन्य सभी नामान्तकरण स्वतः शून्य घोषित किये जाते है।

आदेश

अतः यह आदेश दिया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 470 रकवा 0.18 है0 , 470/651 रकवा 0.91 है0 जिसमें से रकवा 0.21 है0 ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली वर्तमान जमाबन्दी को गत जमाबन्दी 2039–42 की स्थिति बहाल करते हुये नामान्तकरण संख्या 252 तारीख 03.06.1986 व उसके पश्चात् सभी नामान्तकरण यथा विकय पत्र, सम्परिवर्तन आदेश एवं अन्य सभी नामान्तकरण शून्य घोषित किये जाते है तथा श्रीमन पुत्र रामहेत, भम्बोली पुत्र रामहेत हिस्सा 1/2 के वारिस वादी तेजा पुत्र श्रीमन हिस्सा 1/4 व किरोडी पुत्र श्रीमन हिस्सा 1/4 जाति मीना निवासी करीरी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा हाल खसरा नम्बर 470/651 का रकवा 0.91 है0 में से रकवा 0.21 है0 में वादी तेजा पुत्र श्रीमन हिस्सा 1/4 व किरोडी पुत्र श्रीमन हिस्सा 1/4 जाति मीना निवासी करीरी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री जारी हो।

यह निर्णय दिनांक 11.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली